A/1

कार्यालय प्रथम अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

रमेश कुमार सुथार पीपली चौक भीनमाल	बनाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी बागोड़ा (राज))

प्रकरण संख्या 30/2017

अपील अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

....

उपस्थितिः-
प्रार्थी की ओर से कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमति रेणु सैनी, राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी, बागोड़ा) उपस्थित।

सुनवाई दिनांक 27.09.2017 **आदेश दिनांकः-04.10.2017**

-: आदेश :-

1. उक्त अपील अपीलार्थी श्री रमेश कुमार सुथार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) बागोड़ा द्वारा कतिपय सूचनाए प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2017 द्वारा चाही गई सूचनाएं/आवेदन पर विनिश्चियन प्राप्त नहीं होने पर धारा 19(1) में प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस बात की जानकारी होते हुये भी कि अपील हमेशा उच्च अधिकारी को की जाती है, उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) के अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बागोड़ा) को प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होने इस कार्यालय को प्रेषित किया। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पद धारण करने वाले अधिकारियो को उनके पद नाम से पदेन राज्य लोक सूचना अधिकारी घोषित किया गया है। इसी कम में अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी बागोड़ा) के नाम से ही प्रस्तुत किया गया है, किन्तु सूचना आवेदन पत्र पर विनिश्चियन विहित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर प्रस्तुत अपील श्रीमति रेणु सैनी के व्यक्तिगत नाम से प्रस्तुत की गई है जो सही नहीं है। अतः उक्त अपील का उनवान उपर अंकित अनुसार श्री रमेश कुमार सुथार (अपीलार्थी) बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) बागोड़ा किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 19(1)के अर्न्तगत प्रस्तुत अपील में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओ का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार हैः-

2.1. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर (राज.)द्वारा धारित व नियंत्रणाधीन सूचना को अभिप्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसको आगे "इस अधिनियम" से संबोधित किया गया है) की धारा 6 की उप धारा (1) के अर्न्तगत विहित आवेदन फीस के पेटे दस रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 729275 के साथ संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2017 (जिसको फि आगे "विवादित आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2007" से संबोधित किया गया है) को रजिस्टर्ड डाक के जरिये उक्त प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

यह तत्थ्यात्मक विवरण है एवं इसकी पुष्टि में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2017, पोस्टल आर्डर के अधपन्ने एवं रजिस्ट्री रसीद की प्राप्ति भी प्रस्तुत की गई है। अतः सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि होती है।

2.2. यह कि इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) सपठित धारा 7 की उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर के आवेदन पत्र पर सिर्फ विनिश्चय करना नहीं है, उस विनिश्चिय प्रति इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1)सपठित उप धारा (3) मे विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ही आवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करानी है। विवादित आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2017 पर कोई विनिश्चय आज दिनांक तक अपीलार्थी (आवेदक) को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये इस अधिनियम की धारा

जिला कलेक्टर,जालोर

19 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रजिस्टर्ड डाक के जरिये आपके समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, जिसको स्वीकार किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उक्त बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा धारा 7(1) व 7(2) को उद्धरित कर सूचना विनिश्चियन निर्धारित समय सीमा में प्राप्त होने का कथन करते हुए सूचना अपील की तिथि तक प्राप्त नहीं होना अंकित करते हुए अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को अपील सुनवाई का नोटिस दिये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 25.09.2017 को प्रत्युतर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यतर दिनांक 25.09.2017 पर विचारण कर अभिनिर्धारित किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त उतर दिनांक 25.09.2017 के पैरा 2 में स्वीकार किया है कि उनको संलग्न" उपखंड अधिकारी बागोडा का पत्रांक / विविध / 2017/ 298 दिनांक 27.07.2017 की प्रति भी आज दिनांक 22.09.2017 को अपीलार्थी को प्राप्त हुई है। " अर्थात उन्हे सूचना तो प्राप्त हो गई है, किन्तु विलंब से प्राप्त हुई है।

2.3. यह है कि इस अधिनियम 2005 की धारा 7 की उप धारा (8) के अनुसरण में विनिश्चय अपीलार्थी (आवेदक) को उक्त प्रत्यर्थी पक्ष वे उपलब्ध नही कराया है। इससे यह स्पष्ट रुप से प्रमाणित होता है कि विवादित आवेदन पत्र को इस अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणो में से किसी कारण से अस्वीकार नही किया गया है। अर्थात् अपीलार्थी (आवेदक) को सूचना का अधिकार से वंचित रखने के लिये उक्त प्रत्यर्थी पक्ष ने अपनी मनमर्जी से विवादित आवेदन पत्र को अस्वीकार किया है। जिसको स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। इसलिए आप स्वयं इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) सपठित धारा 19 की उपधारा (5) का भली भांति अध्ययन करे तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के नियमो की अनुपालना करते हुए कार्यवाही करे।

यह बिन्दु अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने के समय तक विनिश्चयन प्राप्त नहीं होने के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, एवं प्रथम अपील अधिकारी को भी निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:- " आप स्वंय इस अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) सपठित धारा 19 की उप धारा (5) का भली भंती अध्ययन करें"

इस संबंध में विनम्र अनुरोध है कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम का अतिशय ज्ञान होना एक शुभ संकेत है एवं उसका उपयोग वह स्वंय के लिये अथवा आमजन को शिक्षित करने के लिये करे, यही वांछनीय है। पीठासीन अधिकारी को धारा अध्ययन हेतु निर्देशित किया जाना समाचीन प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा अपने तर्क रखते समय मात्र प्रावधानो का उल्लेख करना ही पर्याप्त होता है। अतः इस बिन्दु पर कोई विनिश्चयन इस अपील आदेश में नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह बिन्दु इस तथ्य के आधार पर अंकित किया गया है कि उन्हे उनके आवेदन पर सूचना / विनिश्चयन प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि अब स्वंय अपीलार्थी द्वारा उपर पैरा 2.2 में अंकित विवरण अनुसार स्वीकार किया गया है कि उन्हे लोक सूचना अधिकारी का उतर दिनांक 27.07.2017 प्राप्त हो चुका है।

2.4. यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुए करीब 12 वर्ष हो गये है, लेकिन ना तो आपको (जिला कलक्टर जालोर) और ना तो राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर समस्त उपखण्ड अधिकारी व समस्त तहसीलदार) को और ना ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (समस्त तहसीलदार) को या तो हकीकत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधो की जानकारी नहीं है या फिर आम नागरिको को सूचना का अधिकार से वंचित रखने के लिये जानबूझकर अवज्ञा कर रहे है। जबकि राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रशिक्षण पर लाखो रुपये खर्च किये है।

उक्त बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा जिला कलेक्टर जालोर, राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर, समस्त उपखंड अधिकारी व समस्त तहसीलदार) सहायक लोक सूचना अधिकारी (समस्त तहसीलदार) को हकीकत में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो की जानकारी नहीं होना कथित किया है। मेरी विनम्र राय में अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम में अत्यना गहन अध्ययन से विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए वे शोध; अध्यापन करावे हेतु भी स्वतंत्र है, किन्तु समस्त उपखंड अधिकारियों / तहसीलदारो व जिला कलेक्टर / अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इस अधिनियम का ज्ञान नहीं होने का विनिश्चयन उनके द्वारा किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। यदि उन्हे सूचना

के अधिकार से वंचित रखने का कोई अंदेशा है तो वे अपने ज्ञान अनुसार नियमानुसार आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः इस बिन्दु पर कोई विनिश्चयन इस आदेश में नहीं किया जा रहा है।

2.5. यह है कि अपीलार्थी आपको यह भी बताना उचित समझता है कि आम नागरिको को सूचना का अधिकार से वंचित रखने के लिये आप सभी जन प्रथम अपील अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी) जान बूझ कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधो की अवज्ञा करके राजकीय धन एवं राजकीय समय बर्बाद कर रहे हो।

इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा पुनः सभी अधिकारियो पर जानबूझ कर अधिनियिम के उपबंधो की अवज्ञा करके राजकीय धन एवं राजकीय समय की बर्बादी करने का आक्षेपित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वंय अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग की बेवसाईट पर प्रसारित प्रथम अपील के प्रारूप का अध्ययन नहीं करके अनावश्यक बिन्दुओ को अपील आवेदन में उल्लेखित किया गया है।

उपखंड अधिकारी जो राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित है, को अपने उपखंड के राजस्व संबंधी प्रकरणो में न्यायालय के अधिकार दिए गए है, जिनके तहत उन्हे राजस्व वादो का निर्धारित मापदंडो अनुसार निर्णय किया जाना अपेक्षित है। साथ ही उपखंड अधिकारी अपने उपखंड में केन्द्र एवं राज्य सरकार की सौ से अधिक विभिन्न योजनाओ के सफल कियांन्वयन हेतु उतरदायी है, जिनमें उन योजनाओ के प्रचार प्रसार से लेकर आमजनो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रो की स्वीकृति एवं योजना का सही लाभ पात्र व्यक्तियो को पहुंचाने का दायित्व उपखंड अधिकारी का ही होता है। इसी परिपेक्ष्य में उपखंड अधिकारी कुछ योजनाओ में आवेदन प्राप्त कर निर्णय करता है, कुछ में अधीनस्थ अधिकारियो द्वारा आवेदन के निर्णयो के विरूद्ध की गई अपीलो पर निर्णय करता है। इन दोनो रूपो में उसका दायित्व उन आमजनो तक योजनाओ का लाभ पंहुचाने का है जो नियमानुसार पात्र है। यही नहीं उपखंड अधिकारी अपने संपूर्ण उपखंड में कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु भी उतरदायी है। अपने उपखंड में उसे स्थानीय स्तर (पंचायत, नगरीय निकाय) से लेकर लोक सभा तक के चुनाव से संबंधित समस्त कार्य, भू राजस्व एवं अन्य न्यायालयों द्वारा पारित अवार्डो की राशि वसूली से संबंधित समस्त कार्य, भू अभिलेख संधारण से संबंधित समस्त कार्य भी संपादित करने होते है। उपखंड अधिकारी अपने उपखंड में विभिन्न केन्द्र व राज्य स्तर के आयोगो द्वारा निर्धारित कर्तव्यो व दायित्वो तथा प्रदत निर्देशो की पालना हेतु भी उतरदायी है।

सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त विशिष्ट आपात परिस्थितियों यथा बाढ, अकाल, भूकंप,महामारी इत्यादि में भी संपूर्ण सजगता व संवेदन शीलता के साथ समस्त विभागो से सामंजस्य कर आम जन को तत्काल राहत पहंचाने का दायित्व भी उपखंड अधिकारी का ही है। यही नहीं, सामान्य परिस्थितियो में उपखंड में सार्वजनिक उपयोग की समस्त आवश्यक सेवाओ यथा चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल बिजली,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सेवाएं, पुलिस,पशुपालन विभाग इत्यादि की सेवाओ को सही रूप में एंव सही समय पर आमजन एवं लक्षित समूह तक पहुचाने का दायित्व भी उपखंड अधिकारी का ही है। इन्ही समस्त कार्यो के साथ साथ सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत पदीय दायित्वो का निभाने का दायित्व भी उपखंड अधिकारी का है। यह तथ्य इस परिपेक्ष्य में भी विचारणीय है कि अपीलार्थी द्वारा क्या सूचना चाही जा रही है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 30.06.2017 में चाही गई सूचना न तो वृहत लोक हित, न ही राष्ट्रीय महत्व और न ही आत्यावश्यक किस्म की है। ऐसे मामलो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी ऐजूकेशन बनाम आदित्य बंदोपाध्याय में पारित निर्णय दिनांक 09.08.11 में निर्णित किया है कि : "**The Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its Citizens. Nor should it be conberted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. The nation does not want a scenerio where 75% of the staff of public authorities spend 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their duties** " (जैसा कि माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने परिवाद संख्या 38/2017 में दिनांक 25.05.2017 को पारित निर्णय में उल्लेखित किया है।) अतः इस बिन्दु पर उपरोक्त विवेचन के आलोक में कोई विनिश्चयन अपेक्षित नहीं है।

जिला कलेक्टर,जालोर

2.6. यह है कि प्रथम अपील की कार्यवाही में जारी किया जाने वाले नोटिस में विवादित आवेदन पत्र की ओर प्रथम अपील मेमो की विशिष्टियां आवश्यक रूप से विनिर्दिष्ट करे और प्रथम अपील की कार्यवाही में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से जवाबुलजवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर भी आवश्यक रूप से प्रदान करे।

इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा अपील कार्यवाही में जारी नोटिस में विवादित आवेदन पत्र और अपील मीमो की विशिष्टियां आवश्यक रूप से विनिर्दिष्ट करने हेतु निवेदन किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रस्तुत उत्तर दिनांक 25.09.2017 से पुष्टि होती है कि उसे इन बातो की जानकारी हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा अनेको आवेदन भीनमाल उपखंड में नगर पालिका एवं उपखंड कार्यालय के राज्य लोक सूचना अधिकारियो के समक्ष प्रस्तुत किए है। यहां तक कि अपीलीय कार्यालय में भी अनेको अपीले समय समय पर प्रस्तुत की गई है। अतः उनसे इतना तो अपेक्षित है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत अपीलो की विषय वस्तु का भी ध्यान रखे। अतः इस बिन्दु पर कोई विनिश्चयन नहीं किया जा रहा है।

2.7. यह है कि उक्त प्रत्यर्थी पक्ष से कोई विनिश्चय अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए लोक प्राधिकरण - जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर मे उपखण्ड अधिकारी बागोडा की पंक्ति से वरिष्ठ पंक्ति के अधिकारी के पदनाम व कार्यालय पता की जानकारी नहीं होने की वजह से इस प्रथम अपील को सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बागोडा (राज.) के माध्यम से आपके समक्ष विधिवत रूप से प्रस्तुत की गई है।

इस बिन्दु में भी जानबूझ कर अपीलार्थी द्वारा गलत कथन किया गया है, क्योकि स्वंय आवेदक ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (पदेन तहसीलदार बागोडा) को प्रस्तुत आवेदन में "वास्ते- प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर" अंकित किया है। अतः यह प्रमाणित है कि उसे अपीलीय अधिकारी की जानकारी है किन्तु अनावश्यक दबाव बनाने, राज्य के संसाधनो के विचलन एवं राजकीय मशीनरी के मूल्यवान समय को व्यर्थ करने के उद्देश्य से जानबूझ कर लोक सूचना अधिकारी के अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी को यह अपील प्रस्तुत की है, जो उनके द्वारा इस कार्यालय को भेजी गई। इसके प्रेषण में समय, श्रम व राजकीय संसाधनो का व्यर्थ खर्च करने हेतु अपीलार्थी उत्तरदायी है।

2.8. यह है कि इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील संख्या 4023/2011 अनवान श्री जी.पी.मीणा बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला परिषद अलवर (राज.) में पारित निर्णय दिनांक 30.3.2012 में श्री टी श्रीनिवासन मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान सूचना आयोग ने निम्नलिखित उल्लेख किया है:-

1.	*अपीलार्थी उपस्थित।*
2.	*प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजेश वर्मा उपस्थित।*
3.	*मैंने उभय पक्ष को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।*
4.	*अपीलार्थी ने श्री नन्दलाल मीणा की वर्ष 2006 से दिसम्बर 2010 तक की चल व अचल सम्पत्ति के ब्योरो की नकल की अपेक्षा की थी।*
5.	*प्रत्यर्थी पक्ष ने वांछित सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) के अनसार प्रकटन से छूट की स्थिति दर्शाते हुए देने से मना कर दिया।*
6.	*अपीलार्थी का कथन है कि वांछित सूचना ऐसी नही है जिसे प्रकटन से रोका जाये विशेष कर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अब राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियो की सम्पत्ति की घोषणा के ब्योरे में वेबसाईट पर प्रकटन का निर्णय ले लिया है चूंकि लोक प्राधिकारी ने यह निर्णय ले लिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(2)के अनुसार सूचना देय है।*
7.	*अस्तू वर्तमान अपील को स्वीकार कर निर्देश दिये जाते है कि वांछित सूचना इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को उपलब्ध करा दें।*
8.	*वर्तमान अपील को उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।*
9.	*मेरे हस्ताक्षर एवं आयोग की मोहर लगाकर आज दिनांक 30.3.2012को निर्णय किया गया।*
10.	*आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।*

जिला कलेक्टर, जालोर

उक्त पैरा में अपीलार्थी द्वारा उद्धरित अपील संख्या 4023/2011 श्री जी.पी मिणा बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला परिषद अलवर में दिनांक 30.03.2012 को पारित निर्णय का सम्मान अवलोकन किया गया । उक्त निर्णय में लोक सूचना अधिकारी से उसके अधीन कार्यरत कार्मिक की अचल संपति की सूचना चाही गई थी, जो उनके पास संधारित होने से माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी की स्वंय की चल व अचल संपतियो की सूचना चाही गई, जो उनके पास लोक सूचना अधिकारी की हैसियत से संधारित नहीं है। अतः उद्धरित निर्णय के तथ्य एवं प्रार्थी के प्रकरण के तथ्य भिन्न है।

3. अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2017 चाही गई सूचना, उसका राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब एवं उस जवाब पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.09.2017 को प्रस्तुत प्रति उत्तर का विवरण निम्न अनुसार है:-

3.1. प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, बागोडा) से निम्न सूचना चाही गई:- **"श्रीमति रेणु सैनी, उपखंड अधिकारी बागोडा, जिला जालोर (राज.)की चल एवं अचल संपतियों के ब्योरो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे "**

इस आवेदन के क्रम में राज्य लोक सूचना अधिकारी **ने अपने पत्रांक**/ 298 दिनांक 27.07.2017 द्वारा प्रार्थी को यह अवगत कराया गया "श्रीमति रेणु सैनी, उपखंड अधिकारी, बागोड़ा की संपति विवरण की सूचना कार्मिक विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध है।"

इसके प्रत्युतर में प्रार्थी ने अपने प्रत्युतर दिनांक 25.09.2017 से उक्त सूचना देर से प्राप्त होना अंकित किया । इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया कि उक्त सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी की हैसियत से उनके कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है, एवं राज्य सरकार द्वारा विहित समयावधि में कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा नियमानुसार विभाग की वेब साईड पर डाली जाती है। चल संपति की सूचना उनकी व्यक्तिगत सूचना है, जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा प्रगटीकरण का कोई आदेश अभी तक नहीं दिया गया है। यह सूचना व्यक्तिगत सूचना होने से प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

अपीलार्थी द्वारा उद्धरित अपील संख्या 4023/2011 श्री जी.पी मीणा बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला परिषद अलवर में दिनांक 30.03.2012 को पारित निर्णय का सम्मान अवलोकन किया गया । उक्त निर्णय में लोक सूचना अधिकारी से उसके अधीन कार्यरत कार्मिक की अचल संपति की सूचना चाही गई थी, जो उनके पास संधारित होने से माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी की स्वंय की चल व अचल संपतियो की सूचना चाही गई, जो उनके पास लोक सूचना अधिकारी की हैसियत से संधारित नहीं है। फिर भी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने प्रत्युतर कमांक/298 दिनांक 27.07.217 द्वारा प्रत्यर्थी को यह अवगत करा दिया गया था कि " श्रीमति रेणु सैनी, उपखंड अधिकारी, बागोडा की संपति के विवरण के संबंध में उक्त सूचना कार्मिक विभाग की वेब साईट **www.dop.rajasthan.gov.in** पर पब्लिक विजिबल रहता है, जिसे कोइ भी नागरिक देख सकता है।"

जहां तक प्रार्थी द्वारा उद्धरित अन्य निर्णयो का प्रश्न है, वे भी इस प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से चस्पा नहीं होते। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना राज्य के लोक सूचना अधिकारी की व्यक्तिगत सूचना है एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी की हैसियत से कार्यालय उपखंड अधिकारी बागोडा में संधारित नहीं की जाती है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय एवं राज्य सूचना आयुक्त के निर्णय 30.03.2012 के क्रम में उक्त सूचना कार्मिक विभाग द्वारा संधारित की जाती है एवं उनसे संबंधित लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है अथवा सार्वजनिक रूप से देखी जा सकती है।

साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा इस संबध में उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अनुमति याचिका (सिविल) कमांक/27734/2012 गिरीश रामचंद्र पांडे बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त में निर्णय

दिनांक 03.10.2012 का उद्धरण भी पेश किया, जिसके अनुसार "**The question whether CIC acting under the RTI Act 2005 was right in denying information regarding the personal matters pertaining to service career on the ground that the information sought was qualified to be "personal information" as defined in clause (j) of section 8(1) of the RTI Act, came up before the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Girish Deshpande v/s CIC. In that case CIC had held that the information which has been denied to the appellant essentially falls into two parts- (i) relating to the personal matter pertaining to service career; and (ii) Shri Lute's assets and liabilities, movable and immovable properties and other financial aspects and further held that this information qualifies to be "the personal information as defined in clause (j) of Sec.8(1) of RTI Act and the appellant has not been able to convince the commission that disclousure therof is in larger public interest.**

Said declsion of CIC was challenged before the Hon'ble Supreme Court of India. Hon'ble Supreme Court, while dismissing the said petition vide order dated 03.10.2012 had held that the performance of an employee / officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules, which fall under the expression "personal information," the disclosure of which has no relation to any public activity or public interst. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual offcourse in a given case. If Central Public Information Officer or State Public Information Officer or the Appellate Autherity is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, appropriate orders could be passed, but the petitioner cannot claim those details as a matter of right. It was further held by the Hon'ble Supreme Court that the petitioner in the reffered case has not made a bonafied public inteest in seeking information, the disclosuer of such information would cause unwarranted invasion of privacy of the individual under section 8 (1) of the RTI Act. "

उक्त तथ्य अपीलार्थी के प्रकरण एवं प्रत्यर्थी के निवेदन पर पूर्णतः लागू होते हैं। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी को सूचना प्रदान किया जाना अंचेत नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाती है।

4. उपरोक्त निवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.06.2017 को राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बागौडा) को प्रस्तुत सूचना प्रदान करने के अनुरोध के कम में प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 22.08.2017 को खारिज किया जाता है।

5. प्रार्थी द्वारा इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर